HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 3006/2025

Jagdish Meghwal

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 2547/2025

Ashwin Bhai

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dhirendra Singh, Sr. Advocate Mr. Ravindra Acharya Mr. Priyanka Borona
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Singh, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

21/07/2025

यह बड़ी विचित्र एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस प्रकरण में पिछले छः वर्षों से अनुसंधान का जारी होना बताया जा रहा है। एक समय पर याची को अकारण ही गिरफ्तार किए जाने की स्थिति प्रकट होने पर याची के द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा याची के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया जो अब तक प्रभावी है जिसके अनुसरण में याची अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग कर चुका है किन्तु जैसा कि बताया गया है कि करीब आठ से अधिक अनुसंधान अधिकारी बदले जा चुके हैं, लेकिन अनुसंधान का कोई निष्कर्ष नहीं आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (2009) 3 एससीसी 355 के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार में त्वरित अनुसंधान होना भी शामिल है क्योंकि अनुसंधान के लंबित रहने से नागरिक को हर समय अपनी आजादी के हनन होने का भय रहता है।

ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में जो अनुसंधान अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान में अब तक जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा बताया गया है कि वाहन स्वामी श्रीमती सेंधा भाई के द्वारा प्रकरण में आलिप्त वाहन को ड्राइवर ईश्वर भारती को सुपुर्द किया जाना बताया था। वर्तमान अनुसंधान अधिकारी से अपेक्षा है कि वे शपथ पत्र में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करें कि उक्त ईश्वर भारती के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई, उसके बयान लिए गए अथवा उसको अभियुक्त बनाया गया, वह जीवित है अथवा मृत। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी परिपत्र के अनुसार प्रथम अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए पांच बार से अधिक अनुसंधान अधिकारी नहीं बदले जा सकते हैं। अतएव प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएं निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक अनुसंधान की संपूर्ण कार्यवाही को पूर्ण करने का प्रयास किया जावे।

एक अन्य याची जगदीश मेघवाल के संबंध में अनुसंधान अधिकारी का वर्तमान में क्या निष्कर्ष है, यह भी शपथ पत्र में उल्लेखित करें।

प्रकरण 04.08.2025 को सूचीबद्ध हो।

(FARJAND ALI),J

46-47 Yogeshwar S/-